

महत्वपूर्ण/आवश्यक

प्रेषक

डा0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उ0 प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक #ApprovedDate

विषय: शैक्षिक सत्र 2024-25 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम SHARDA (स्कूल हर दिन आये) के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 49/68-5/2020 दिनांक 28 जनवरी 2020 एवं राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के पत्रांक संख्या: 6 ए-2 सामु0 सह0/शारदा/113/2022-23 दिनांक: 05 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गये। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि 06-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनका चिह्नीकरण करते हुए उनका नामांकन आयु संगत कक्षा में कराया जाये और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाये।

2- उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु समय-समय पर शासनदेशों के माध्यम से प्रतिवर्ष जिलाधिकारी के निर्देशन में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण व नामांकन का वृहद अभियान संचालित किया जाता है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 02 श्रेणी के हो सकते हैं:-

(क) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो।

(ख) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किन्तु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ गये अर्थात् ड्राप आउट हो गये।

3- शैक्षिक सत्र 2024-25 में जनपद के समस्त 06-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षुओं/स्वयं सेवी संस्थाओं/अन्य विभागों के कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयों से सेवित बस्तियों/मजरा/वाडों में स्थित परिवारों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के मध्य यथासम्भव बराबर-बराबर बाँटकर सर्वेक्षण किया जाएगा।

4- शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिवार सर्वेक्षण अभियान का प्रथम चरण दिनांक 17.06.2024 से 16.07.2024 तक संचालित किया जाएगा। परिवार सर्वेक्षण अभियान का दूसरा चरण 01.08.2024 से 31.08.2024 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों, ईट भट्टों, खदानों, कारखानों, होटलों, ढाबों, असेवित एवं मलिन बस्तियों, जन-जातीय व घुमन्तू समुदायों आदि एवं मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए

आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन प्रथम चरण हेतु दिनांक 17.06.2024 से 16.07.2024 एवं दूसरे चरण हेतु 01.08.2024 से 31.08.2024 तक की अवधि में किया जायेगा। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक-1), आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक-2) एवं सर्वेक्षण प्रपत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोड का विवरण संलग्न (संलग्नक-3) है।

5- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक-1) को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा प्रथम चरण के परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक: 31.07.2024 तक एवं दूसरे चरण के प्रपत्रों के विवरण को 15.09.2024 प्रेरणा पोर्टल के 'परिवार सर्वेक्षण DDF' पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा। गत वर्ष परिवार सर्वेक्षण में यदि कोई परिवार सर्वेक्षण से वंचित रह गया है तो ऐसे परिवारों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यदि कोई सदस्य सर्वेक्षण से छूट गया है या वर्तमान में परिवार का सदस्य नहीं है तो ऐसे परिवार के सदस्यों के विवरण को एडिट किया जायेगा।

6- विशिष्ट आवश्यकता वाले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन का कार्य भी साथ ही साथ किया जायेगा तथा चिह्नांकन के बाद आयु संगत कक्षा में नामांकन कराया जायेगा।

7- पलायन करने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार नामांकन कराया जा सके (संलग्नक-4)।

8- कक्षा 2 से 8 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पहला मूल्यांकन (वेसलाइन एसेसमेंट) चिह्नांकन से 15 दिन के बाद शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा। दूसरा मूल्यांकन माह अक्टूबर में, तीसरा मूल्यांकन माह जनवरी में तथा चौथा मूल्यांकन माह मार्च में किया जायेगा। एसेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी।

9- यदि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इन बच्चों के पुनः ड्राप आउट होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी। अतएव इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं मुख्यधारा में लाने हेतु इन बच्चों के अभिभावकों को उनकी अर्हता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा (संलग्नक-5)।

10- विद्यालयों में आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संघनित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी, जिसके आधार पर विशेष प्रशिक्षण सम्पादित किया जायेगा।

11- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु शारदा पोर्टल/शारदा

50/2024

मोबाइल एप्प विकसित किया गया है तथा शारदा पोर्टल का समस्त डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल से इन्टीग्रेट किया गया है।

12- स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड करायी जायेगी।

13- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।

14- भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 8-94/2020-IS-15 दिनांक 8 जून, 2021 के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों की मैपिंग, उपस्थिति इत्यादि की सूचना जो अपलोड की जा रही है उसे जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराया जायेगा।

15- कार्यक्रम के संचालन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गाइडलाइन्स संलग्न हैं (संलग्नक-6)।

16- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by एम के

शन्मुगा सुन्दरम्

Date: 11-05-2024 15:09:05

Reason: Approved

(डा0 एम 0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्)

प्रमुख सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- 2- श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर जी0 टी0 रोड, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
- 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0 प्र0, लखनऊ।
- 5- शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
- 6- निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 9- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 10- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 11- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 12- शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

- 13- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 14- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
- 15- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
- 16- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश।
- 17- जिला समन्वयक (सामु०सह०) समग्र शिक्षा, समस्त जनपद।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह 0/-
(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

नोट : सर्वेक्षण प्रारूप को भरते समय दिए गए कोड का प्रयोग करें जिससे आपको पोर्टल में एंट्री करते समय असुविधा न हो

*लिंग- कोड	
1	पुरुष
2	महिला
3	ट्रांस जेंडर

*धर्म- कोड	
1	हिन्दू
2	मुस्लिम
3	ईसाई
4	सिख
5	बौद्ध
6	जैन
7	पारसी
8	अन्य

*वैवाहिक स्थिति- कोड	
1	विवाहित
2	अविवाहित
3	विधवा
4	विधुर
5	तलाकशुदा
6	परीत्यक्ता

*सामाजिक वर्ग- कोड	
1	सामान्य
2	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति
4	अनुसूचित जनजाति

*शैक्षिक योग्यता- कोड	
1	डॉक्टरेट
2	एम. फिल
3	परास्नातक
4	स्नातक
5	डिप्लोमा
6	इंटरमीडिएट
7	हाईस्कूल
8	आई टी आई
9	कक्षा 8 एवम उससे नीचे
10	अशिक्षित

*व्यवसाय- कोड	
1	छात्र
2	स्वरोजगार
3	गृहणी
4	बैरोजगार
5	मजदूर
6	किसान
7	सरकारी कर्मचारी
8	प्राइवेट कर्मचारी

*घर का स्वामित्व- कोड	
1	मिजी भवन
2	किराये का भवन

* मुखिया से सम्बन्ध- कोड		
1	दादा	22 देवरानी
2	दादी	23 भतीजा
3	भाई	24 भतीजी
4	बहन	25 भांजा
5	चाचा	26 भांजी
6	चाची	27 दामाद
7	नाना	28 भाभी
8	नानी	29 ताऊ
9	बुआ	30 मामा
10	फूफा	31 मामी
11	माता	32 मौसी
12	पिता	33 मौसा
13	पत्नी	34 पुत्र
14	पति	35 पुत्री
15	बहू	36 पोता
16	ससुर	37 पोली
17	सास	38 नाती
18	नन्द	39 नातिन
19	जेठ	40 पहली पत्नी
20	जेठानी	41 दूसरी पत्नी
21	देवर	

*विद्यालय न जाने के कारण- कोड	
1	अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2	कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3	घरेलू नौकर
4	ईंट भट्टों व खदानों में काम करना
5	गैराज/फैक्ट्री में काम करना
6	कृषि व्यवसाय
7	पुस्तैनी दस्तकारी
8	छोटे होटलों/ढाबों में काम करना
9	भाई बहनों की देखभाल करना
10	विद्यालय दूर होने का कारण
11	कक्षा-कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12	शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13	पढ़ाई में कठिनाई के कारण
14	बाल विवाह
15	परिवार घुमनु होने के कारण
16	गरीबी के कारण
17	गंभीर दिव्यांगता
18	पलायन

7/2024/-5 ()

संलग्नक-4

माइग्रेशन प्रमाण पत्र

Migration CertificateTO WHOM IT MAY CONCERNविशिष्ट छात्र सं०-

फोटो

छात्र/छात्रा नाम:

जन्म तिथि:

आयु:

लिंग:-

श्रेणी/वर्ग:

CWSN (हाँ/नहीं)

पिता का नाम:

माता का नाम:

अभिभावक नाम का नाम:

माता-पिता /अभिभावक का मोबाईल नं.:

विधालय में प्रवेश का दिनांक:

विद्यालय छोड़ने की दिनांक:

विधालय में प्रवेश की कक्षा:

वर्तमान में बच्चे की कक्षा:

विधालय छोड़ने का कारण:

मूल निवास का पता:

बस्ती/मोहल्ला:

ग्राम पंचायत/वार्ड:

न्याय पंचायत:

विकास खंड/ज़ोन:

जनपद:

एतद्वारा उपर्युक्त विवरण प्रमाणित किया जाता है।

(यह कम्प्यूटर जनित प्रति है। इसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।)

सामाजिक सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु रणनीति

- प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मानदंडों के आधार पर सूचीबद्ध करने की दिशा में कार्य करेंगे। (मानदंडों एवं योजनाओं के विवरण हेतु तालिका-1 देखें)।
- चिन्हित बच्चों का विवरण तथा लागू हो सकने वाली योजनाओं को प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए प्रारूप में भरा जायेगा (प्रारूप-1) जिसका लाभ बच्चे / परिवार को दिलाने के लिए किया जा सकता है।
- विद्यालयों में पूर्व से नामांकित बच्चों को भी उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है - जैसे कि BoCW योजना छात्रवृत्ति आदि।
- विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा बच्चों का विवरण एवं योजनाओं के विवरण सहित सूची ग्राम प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा।
- ग्राम प्रधान द्वारा सर्वे में चिन्हित एवं नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के आउट ऑफ स्कूल होने के कारणों की जांच के पश्चात उनको योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची को ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर से सत्यापन करते हुए अनंतिम सूची तैयार की जाएगी।
- ऐसी योजनाओं जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारी (जैसे श्रम अथवा समाज कल्याण विभाग से सम्बंधित योजनाएँ) के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, अनंतिम सूची ग्राम प्रधान द्वारा एस.डी एम् / बी.डी. ओ. के माध्यम से जिला अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

गाँव का नाम ग्राम पंचायत का नाम

विकास खण्ड का नाम:.....जनपद का नाम:.....

ग्राम प्रधान का नामप्रधानाध्यापक का नाम :.....विद्यालया का नाम

प्रारूप -1

क्र. सं.	बच्चे का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	लिंग (बालक/ बालिका)	कक्षा	चिन्हितकन का मापदंड/ आउट ऑफ स्कूल होने का कारण	बच्चे हेतु लागू योजना का नाम	अभिभावक/ संरक्षक हेतु लागू योजना
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

7/2024/-5 ()

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण

(तालिका-1)

क्र. सं.	मानदंड	लागू योजना	लागू राशि / लाभ
1	एकल माँ के द्वारा पालन किये जाने वाला बच्चा	माता के लिए विधवा पेंशन पीडीएस (राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	रु.500 प्रति माह
2	एक या दोनों माता-पिता विकलांग	दिव्यांग पेंशन योजना पीडीएस (राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	रु.500 प्रति माह
3	विकलांग बच्चे	दिव्यांग पेंशन योजना	रु.500 प्रति माह
4	18 साल से कम उम्र में काम करना।	बाल श्रमिक विद्या योजना	बालकों के लिए रु. 1000 प्रति माह बालिकायों के लिए रु. 1200 प्रति माह
5	परिवार को सहयोग प्रदान करने हेतु बच्चे द्वारा बाल मजदूरी	बाल श्रमिक विद्या योजना	बालकों के लिए रु. 1000 प्रति माह बालिकायों के लिए रु. 1200 प्रति माह
6	माता-पिता द्वारा मौसमी पलायन	माता-पिता के लिए मनरेगा जॉब कार्ड मुद्रा योजना के तहत ऋण BoCW के तहत लाभ अगर माता-पिता इस योजना के तहत पंजीकृत हैं	मुद्रा योजना: स्वरोजगार के लिए 50,000 - 10,00,000 तक का ऋण। BoCW-छात्रवृत्ति कक्षा 5-7 में पढ़ने वाले - लड़के के लिए रु. 4000 (2000 की 2 किस्तों में) और लड़की के लिए 5000 रुपये (2500 रुपये की 2 किस्त में) और कक्षा 8 में लड़कों के लिए 5000 रुपये और रु. 2 बराबर किस्तों में लड़कियों के लिए 6000 शर्त -55% अंक
7	बच्चों के दादा-दादी/ नाना-नानी द्वारा देखभाल	वृद्ध माता-पिता के लिए वृद्धावस्था पेंशन।	रु.500 प्रति माह
8	आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं हेतु	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	रु.100 प्रति माह
9	लड़कियां जिनके माता-पिता कामकाजी है और छोटे भाई-बहनों के साथ रहते है	कन्या सुमंगला योजना।	- जन्म पर रु. 2000, 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण होने पर रु.1000, - कक्षा 1 में प्रवेश रु. 2000,

7/2024/-5 ()

			• कक्षा 6 में प्रवेश रु. 2000, • कक्षा 9 में प्रवेश रु. 300, • 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तरीर्ण कर 02 वर्षीय या अधिक अवधि का डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर रु. 5000
--	--	--	--

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति

प्रारूप -2

क्या जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है (हाँ/ नहीं)	यदि हाँ तो तिथि लिखें	प्रधानाध्यापक व एस.एम.सी द्वारा कुल कितने विद्यालयों की सूची तैयार की गयी है	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो सकने वाले कुल कितने बच्चों का चिन्हांकन कर लिया गया है	कितने बच्चों की सूची ग्राम प्रधान को सौंपी गयी है	कुल कितने बच्चों एवं अभिभावकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ग्राम प्रधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है

आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु गाइडलाइन

1. चिह्नांकन/नामांकन की रणनीति:-

- (1) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेन्ट एरिया) के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जायेगा कि सर्वे में सभी बस्तियाँ/घर आच्छादित हो जायें।
- (2) जनपदों के डायट एवं समस्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मिलित किया जायेगा।
- (3) शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत आदि के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असेवित बस्तियों की मैपिंग किया जायेगा।
- (4) शहरी क्षेत्रों के आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर क्षेत्र) द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ बैठककर सभी बस्तियों को आच्छादित करने हेतु अर्बन सर्वे प्लान तैयार किया जायेगा।
- (5) शहरी क्षेत्रों की असेवित बस्तियों, बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस/टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले/नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिह्नांकन हेतु सर्वे में गैर-सरकारी संस्थाओं, एन.एस.एस. एवं स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वे हेतु घरों का आवंटन किया जायेगा।
- (6) ईंट भट्टे, कंस्ट्रक्शन साईट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन (Migration) से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जायेगा।
- (7) प्रधानाध्यापक, एस०एम०सी० अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दायित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परन्तु वह अपने माता-पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने/आने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जायेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-4)।
- (8) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिह्नांकन भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जायेगा ताकि ऐसे बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिह्नांकन के लिए उनकी दक्षता, क्रियाशीलता व कार्य कुशलता से संबंधित बाधाओं (बैरियर्स) की जाँच हेतु स्क्रीनिंग चेकलिस्ट का प्रयोग किया जायेगा।
- (9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्टरी, खादान, व परम्परागत कुटीर/लघु उद्योग आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बालश्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे बाल श्रमिक बच्चों की सूचना उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वे प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित उपलब्ध करायी जायेगी ताकि इनका नामांकन विद्यालय में कराया जा सके।
- (10) विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा-1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।
- (11) बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 11 से 14 वर्ष की आउट ऑफ़ स्कूल किशोरी बालिकाओं का चिह्नांकन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा किया गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा आउट ऑफ़ स्कूल किशोरियों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी/ सी.डी.पी.ओ. से प्राप्त कर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सत्यापन करते हुए विद्यालय में नामांकित कराया जायेगा।

- (12) अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (13) विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबन्ध समिति, माँ समूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं (ओपिनियन बिल्डर्स) का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- (14) यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भाई/बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात् आउट ऑफ स्कूल हैं तो शिक्षामित्र/अनुदेशक/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता-पिता से सम्पर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जायेगा।

2. मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना

- (1) पलायन एक बड़ी चुनौती है। पलायन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य कारणों से हो सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में एक तरफ मुख्य चुनौती ऐसे बच्चों को कभी नामांकित नहीं हुए हैं अथवा विद्यालय में नामांकित होते हुए भी अपने माता-पिता या परिवार के साथ 5 से 7 महीने के लिये पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चों के साथ राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर किसी अन्य जिलों में मौसमी पलायन करते हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों के कई गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठित और गैर संगठित उद्योगों में काम करने के लिये आते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कई जनपद इन-माइग्रेशन एवं आउट-माइग्रेशन से प्रभावित हैं।
- (2) इन-माइग्रेशन (प्रवासन) के क्षेत्र अर्थात्, ऐसे क्षेत्र (जिले, ब्लॉक, गाँव) जहां से श्रमिक पलायन करके आते हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।
- (3) आउट-माइग्रेशन (बाहर प्रवास) के क्षेत्र अर्थात्, उन क्षेत्रों की मैपिंग करने की आवश्यकता है जहां निर्माण कार्य में सहयोग हेतु श्रमिक पलायन करके जाते हैं, चूंकि माइग्रेशन कृत्रिम रूप से निर्मित सीमाओं को परिभाषित करता है इसलिए विशिष्ट माइग्रेशन से प्रभावित क्षेत्रों (माइग्रेशन पॉकेट/बेल्ट) को चिह्नित करना होगा।
- (4) उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मौसमी पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है, जो बच्चे मौसमी पलायन करके किसी गांव में आते हैं वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे गांव से पलायन करके किसी अन्य स्थानों पर जाते हैं उनके बारे में ठोस कदम उठाया जाना है। उत्तर प्रदेश में मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये यह दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।
- (5) मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिये उत्तर प्रदेश में आने व जाने वाले क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जाने हैं- प्रत्येक स्कूल को मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों के लिये दो अलग-अलग रजिस्टर बनाने होंगे। “इन माइग्रेशन रजिस्टर एवं आउट माइग्रेशन रजिस्टर” इन माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान से पलायन करके आ रहे हैं, जबकि आउट माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान पर पलायन करके जा रहे हैं।

इन-माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारूप (विद्यालय स्तर पर उपयोग हेतु)

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/वाड़ का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है	जिला का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है

आउट-माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारूप (विद्यालय स्तर पर उपयोग हेतु)

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/ YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है	जिला का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है

(6) माह फरवरी में शैक्षिक सत्र शुरू होने से पूर्व और दूसरा माह नवम्बर में जब अधिकांश पलायन हो रहा होता है तब विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की जाये। बैठकों में स्कूल द्वारा बनाये गये दोनों रजिस्ट्रों पर विचार किया जाये एवं आंकड़ों की प्रमाणिकता को सत्यापित जाये। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाये:-

- मौसमी पलायन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या,
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अनुपस्थिति की औसत अवधि,
- आयु संगत कक्षा में नामांकन तथा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता,
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला शिक्षा कार्यालयों के लिये सुझाव।

3. अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु संवेदीकरण (Triggering)

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन हेतु एस०एम०सी० सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जायेगा। जिनमें नेहरु युवा केंद्र/एन.एस.एस./स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का भी यथासंभव सहयोग लिया जायेगा। मोहल्ला बैठकों में निम्न बिन्दुओं पर शिक्षा के महत्व के संबंध में चर्चा की जायेगी तथा समुदाय को प्रेरित किया जाएगा-

- सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना क्यों जरूरी है?
- सभी बच्चों को रोज स्कूल भेजना क्यों जरूरी है?
- बच्चों के स्कूल न जाने से क्या-क्या नुकसान है?
- क्या स्कूल में जो सिखाया जाता है, वह बाहर भी सीख सकते हैं?
- क्या बिना पढ़े-लिखे कोई अच्छा इन्सान/ अधिकारी बन सकता है?
- पढ़े-लिखे बच्चे और बिना पढ़े-लिखे बच्चे में क्या-क्या अंतर होता है?
- क्या आपको पता है, 6 से 14 वर्ष का बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है तो क्या वह फिर से स्कूल में पढ़ने जा सकता है?
- आपके मोहल्ले से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं?
- आपके मोहल्ले से 6 से 14 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं?
- क्या आप उन बच्चों के नाम बता सकते हैं जो विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं?
- क्या उन बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराना चाहिए?

अध्यापक द्वारा चर्चा के दौरान 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका नाम नोट किया जाएगा तथा इन बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर विवरण एकत्रित किया जायेगा एवं हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में अंकित किया जायेगा।

4. स्पेशल एजुकेटर एवं नोडल अध्यापक की व्यवस्था, कार्य एवं दायित्व

(1) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स (IT/RT) के मध्य न्याय पंचायतों का आवंटन किया गया है तथा उन्हें न्याय पंचायतवार आवंटित विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल के चिन्हीकरण, नामांकन एवं

- नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण के संचालन, उपस्थिति, एवं शैक्षणिक प्रगति के नियमित अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान किये जाने का दायित्व प्रदान किया जाएगा।
- (2) स्पेशल एजुकेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 2 से 8 में नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शारदा एप्प के माध्यम से मूल्यांकन निर्धारित अवधि में नोडल अध्यापक द्वारा किया गया है।
 - (3) स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड कराया जायेगा।
 - (4) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबंधन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अध्यापक नामित गया है।
 - (5) नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण, उपस्थिति, ठहराव, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवम् शिक्षण सहगामी गतिविधियों आदि का विशेष ध्यान रखने का दायित्व प्रदान किया जाए।
 - (6) नोडल अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निःशुल्क 02 सेट यूनीफार्म, पाठ्यपुस्तक, स्वेटर, जूता-मोजा एवं स्कूल बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5. आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारम्भिक मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट):-

- (1) विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित प्रत्येक आउट ऑफ स्कूल बच्चे का मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट) नोडल अध्यापक द्वारा शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा।
- (2) मूल्यांकन चार चरणों में किया जायेगा
 - प्रथम मूल्यांकन (बेलाइन एसेसमेन्ट)-विद्यालय में • तीसरा मूल्यांकन- माह जनवरी नामांकन के 15 दिन के बाद
 - दूसरा मूल्यांकन- माह अक्टूबर • चौथा मूल्यांकन-माह मार्च
- (3) बच्चों के अधिगम संप्राप्ति के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी।

6. उपस्थिति एवं ठहराव :-

- (1) नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की माहवार नियमित उपस्थित शारदा एप्प के माध्यम से अंकित की जाएगी।
- (2) यदि बच्चा लगातार 03 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो बुलावा टोली/ मीना मंच/ बाल संसद द्वारा गृह भ्रमण कर अनुपस्थिति का कारण जाना जायेगा और बच्चे को विद्यालय लाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- (3) बच्चे के लगातार 07 दिन तक अनुपस्थिति रहने पर विद्यालय के नोडल अध्यापक / अन्य अध्यापकों द्वारा गृह भ्रमण कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
- (4) बच्चे के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थिति रहने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जायेगा।
- (5) इसके उपरान्त भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं समुदाय के प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर बच्चे के माता-पिता अथवा अभिभावक को प्रेरित कर बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाएगी।
- (6) विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर विचार-विमर्श विशेष रूप से किया जायेगा और अनियमित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जायेगी तथा प्रेरणा एप्प के एस०एम०सी० गतिविधि माड्यूल पर सूचना अपलोड की जायेगी।

- (7) छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में नियमित त्रैमासिक अभिभावक-अध्यापक बैठक (पी0टी0एम0) आयोजित की जायेंगी। बैठक में विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति एवं उपलब्धि (अधिगम) स्तर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जायेगा। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जायेगी, जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को आयोजित की जाएगी।
- (8) विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को नोडल अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। नोडल अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेल-कूद की सुविधाओं का लाभ देने के पर्याप्त अवसर दिये जायेंगे। अध्यापकों द्वारा खेल-कूद हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- (9) आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विद्यालय में ठहराव एवं मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मानदंडों के आधार पर प्रधानाध्यापक एवं एस.एम.सी. सदस्यों द्वारा बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा संलग्न-5।
- (10) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करायेंगे तथा पात्रता के आधार पर बच्चों एवं अभिभावकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करायेंगे।

7. आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था :-

- (1) विशेष प्रशिक्षण हेतु समस्त विद्यालय के नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (2) विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्स्ट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी। विद्यालय में नामांकन के उपरान्त बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर तक लाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (3) विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त नोडल अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा इन बच्चों का वार्षिक परीक्षा के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन किया जायेगा और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयुसंगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, तथा स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा नियमित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।
- (4) विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

8. डाटा सिस्टम: आउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित आँकड़ों का रख-रखाव

- (1) हाउसहोल्ड सर्वे में चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण एवं बच्चों के विद्यालय में नामांकन का विवरण सर्वे प्रपत्र में भरा जायेगा, सर्वे प्रपत्र के विवरण को नोडल-अध्यापक द्वारा शारदा मोबाइल एप्प/ ~~टी. मोबाइल एप्प~~ अथवा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जायेगा।
- (2) पोर्टल पर पंजीकृत बच्चा शारदा मोबाइल एप्प में नोडल अध्यापक के लॉग-इन पर प्रदर्शित होगा।
- (3) नोडल-अध्यापक द्वारा आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का मूल्यांकन, उपस्थिति, अधिगम स्तर के क्रमिक वृद्धि हेतु त्रैमासिक मूल्यांकन आदि को शारदा मोबाइल एप्प के माध्यम से समय-समय पर अपलोड एवं अपडेट किया जाएगा।
- (4) विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को शारदा एप्प के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
- (5) सर्वे में चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।
- (6) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स से मैपिंग, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की त्रैमासिक उपस्थिति का विवरण एवं मेनस्ट्रीमिंग का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड/अपडेट किया जायेगा।

9. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:-

- (1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में विद्यालयवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन की प्रगति का प्रतिदिन शारदा पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण करेंगे।
- (2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एस.आर.जी.) एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) को निर्देश दिया जाये कि वे विद्यालय भ्रमण में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव, मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण और उनके अधिगम स्तर पर विशेष रूप से अनुश्रवण करेंगे। एस.आर.जी. एवं ए.आर.पी. द्वारा नोडल अध्यापकों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट में इसका अनिवार्यतः उल्लेख करेंगे।
- (3) जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) द्वारा प्रतिदिन 'शारदा-पोर्टल' पर प्रगति का अवलोकन किया जाएगा और उसकी अद्यतन जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले विकास खण्डों/विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (4) नामांकन के उपरान्त, नोडल अध्यापक द्वारा शारदा एप्प पर बच्चों का मूल्यांकन एवं उपस्थिति के विवरण को अवश्य अपडेट किया जाये। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम-से कम एक बार तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सप्ताह में कम-से-कम एक बार शारदा पोर्टल को लॉगिन कर पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 'शारदा कार्यक्रम' की समीक्षा की जाएगी।
- (5) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।
- (6) बच्चों के मेनस्ट्रीमिंग की प्रगति का अनुश्रवण भी शारदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र

संलग्नक -2

वर्ष 2024-25

आयु वर्ग: 7-14 वर्ष

जनपद का नाम		विकास खण्ड/जोन क्षेत्र का नाम		ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम																	
न्याय पंचायत/वार्ड का नाम		बस्ती/मजरे का नाम																			
क्र. स.	वर्ग का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	अभिभावक का नाम *	बच्चे का पूर्ण पता	निवाहृत नं० (माता/पिता/अभिभावक से किसी एक का)	लिंग (कोड में)	वर्ग का आयु	वर्ग दिव्यांग है (1-हो/2-नहीं)	सामाजिक वर्ग (1-साधारण, 2-अनु-जा०, 3-अनु-जा० जा०, 4-अल्प पि० वर्ग)	घर (कोड में)	क्या बच्चे का कभी विद्यालय में नामांकन हुआ था (1-हाँ/2-नहीं)	यदि हाँ तो पूर्ण की पूरी अधिकतम कक्षा (कक्षा 1-8 तक भरें)	प्रवेशपत्र की अवधि (यह में संख्या में लिखें)	विद्यालय न जाने का कारण (कोड देवकन भरें)	क्या बच्चे का विद्यालय में नामांकन करवाया गया है (हाँ)	विद्यालय की कक्षा (कक्षा 1-8 तक भरें)	विद्यालय में नामांकन का दस्तावेज है तो विद्यालय का दस्तावेज कोड लिखें	विद्यालय का नाम	बच्चे का एड्रेस नं० (विद्यार्थी से देवकन भरें)	बच्चे का जेल नं० (विद्यार्थी से देवकन भरें)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					

नोट: * माता/पिता/अभिभावक में से किसी दो के नाम लिखना अनिवार्य है।
 ** लिंग, पूर्व, सामाजिक वर्ग, एवं विद्यालय न जाने के कारणों हेतु कोड संख्या अंकित करें कोड सं0 के लिए संलग्नक 2ए का संदर्भ लें।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम: मोबाइल नं.: विभाग/संस्था का नाम: सर्वेक्षण की तिथि: हस्ताक्षर

परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

संलग्नक-1

जनपद	ब्लॉक / गाँव	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत/वार्ड/ मन्जरा का नाम
परिवार के मुखिया के जानकारी			
(रेशन कार्ड नं० यदि उपलब्ध हो)	परिवार के मुखिया का नाम	आयु	लिंग*
	धर्म*	वैवाहिक स्थिति*	सामाजिक वर्ग*
	शिक्षक योग्यता*	व्यवसाय*	परिवार की अनुमानित आय
	मोबाइल नं०	घर का स्वामित्व*	वी.पी.एल / ए.पी.एल (मकान नं. सहित)

परिवार के सदस्यों का विवरण (जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो)

क्र.स	नाम	आयु	लिंग	मोबाइल नं०	वैवाहिक स्थिति	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	मुखिया से सम्बन्ध*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

बच्चों का विवरण (जिनकी उम्र 0-14 वर्ष हो)

क्र.स	बच्चे का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	मुखिया से सम्बन्ध*	क्या बच्चा किसी विद्यालय से नामांकित है (हाँ/ नहीं)	यदि हाँ तो कक्षा कोड	विद्यालय - यू.डायस / ऑगनबाड़ी - केंद्र का नाम	विद्यालय का नाम / ऑगनबाड़ी केंद्र का नाम	क्या बच्चा दिव्यांग है (हाँ/ नहीं)	यदि नहीं, तो 7 से 14 वर्ष की आयु के अन्तर्गत ऑफ स्कूल बच्चों हेतु संलग्नक-2 भरी
1												
2												
3												
4												
5												

नोट:- *लिंग, *धर्म, *सामाजिक वर्ग, *वैवाहिक स्थिति, *शैक्षिक योग्यता, *व्यवसाय, *घर का स्वामित्व, *मुखिया से सम्बन्ध एवं *विद्यालय न जाने के कारण का कोड सं0 के लिए संलग्नक-3 का संदर्भ लें।

सर्वेक्षणकर्ता का नाम:

मोबाइल नं०:

विभाग/संस्था का नाम:

सर्वेक्षण की तिथि:

हस्ताक्षर